

नियम – शर्तें

1. आवेदन का मूल्य रू 500/- भुगतान पश्चात वापसी योग्य नहीं है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र संपूर्ण रूप भरा हुआ होना चाहिये, पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दी जाएगी, जो कि आवेदनकर्ता की ही जवाबदारी होगी।
3. आवेदन प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन वापसी/परिवर्तन से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा प्राप्त आवेदन को आवेदन प्रक्रिया में शामिल माना जावेगा तथा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन यदि सफल होती है तो आवेदनकर्ता द्वारा आबंटन स्वीकार न करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
4. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में आवेदनकर्ता द्वारा संलग्न दस्तावेज के परीक्षण पर नियमानुसार पात्रता नहीं होने पर प्राधिकरण को आबंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. आवेदन की स्वीकृति लॉटरी द्वारा की जावेगी।
6. सफल आवेदनकर्ता द्वारा आबंटन आदेश में उल्लेख के अनुसार निर्धारित समय अवधि में राशि जमा करनी होगी अन्यथा प्राधिकरण द्वारा धरोहर राशि राजसात कर लो जावेगी
7. आवेदन से संबंधित नियम एवं शर्तें सतर्कता पूर्वक पढ़ें।

पात्रता (EWS- FLATS)

1. परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम हो
2. परिवार के किसी सदस्य के नाम पे पक्का मकान न हो
3. परिवार रायपुर नगर निगम सीमा के रहवासी हो।
4. प्लैट का मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होगी।

अ. रख-रखाव (मेन्टेनेंस) शुल्क 7.5%

ब. जी.एस.टी शुल्क 1%

स. रजिस्ट्री एवं स्टांप ड्युटी अलग से देय होगी।

फार्म के साथ अनिवार्य संलग्न दस्तावेज

1. पंजीयन राशि - रू 20,000/-
2. आवेदन पत्र के साथ 50. रू के स्टाम्प पर नोटरी से (सत्यापित शपथ पत्र) संलग्न करना होगा।
3. आवेदनकर्ता का स्वयं का निवास नहीं होने की दशा में निवास के संबंध में शपथ पत्र अथवा किरायेदारी अनुबंध प्रस्तुत करें।
4. आवेदनकर्ता को अपना एवं परिवार का आधार कार्ड, पेन कार्ड
5. आवेदनकर्ता का बैंक पासबुक
6. आरक्षण श्रेणी के लिए (ओबीसी/एससी/एसटी/स्वतंत्रता सेनानी/विधवा /शासकीय कर्मचारी/ट्रांसजेंडर/विकलांग आदि) छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
7. सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

